

" प्ररूप	आ .क.वि.-5	भारतीय आयकर विवरणी (i) व्याष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	5	-	2

भाग क-साधारण		साधारण	
व्यक्तिगत जानकारी	(क1)नाम		(क2) स्थायी लेखा संख्याक
	(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हाँ, तो कृपया पुराना नाम दें		(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,
	(क7)फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं.	(क8)परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5)विरचना की तारीख (दि.मा.व)
	(क9)सड़क/गली /डाकघर	(क10) क्षेत्र /अवस्थान	(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)
			प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाईल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),
	(क11)नगर/शहर/जिला	(क12)राज्य	(क13)पिनकोड/ ज़िप कोड
		(क14)देश	
	(क15)निवास/कार्यालय का फोन नं. एसटीडी कोड सहित मोबाईल सं. 1		(क16)मोबाईल सं. 2
	(क17)ई-मेल पता-1		(क18)ई-मेल पता-2
	(फाईल करने की प्रास्थिति)	(क19 का)	आय की विवरणी फाईल करने की देय तारीख(ड्रापडाउन उपबंधित किया जाए) 1. 31 जुलाई 2. 31 अक्टूबर 3. 30 नवंबर
(क19 काii)		(1) धारा के अधीन फाईल (सही का निशान लगाएँ) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उस से पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उ(उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।
		(2) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाईल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153(ग)
		(3) क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		(4) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(ख)	यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं. और फाईल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)		/ /
(ग)	यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148/ 153(ग) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाईल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाईल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)	/ /

	<p>1. चालू निर्धारण वर्ष के लिए (यदि लागू हो) नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनने की पद्धति</p> <p><input type="checkbox"/> 10इंशक भरने के द्वारा (कारबार या वृत्ति से आय) (सेट क का उत्तर)</p> <p><input type="checkbox"/> आय की विवरणी में विकल्प का केवल प्रयोग करने के द्वारा (प्ररूप 10इंशक लागू नहीं होता) (सेट ख का उत्तर)</p> <p>2क(सेट क)</p> <p>क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 में प्ररूप 10इंशक में नई नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए (धारा 115खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है?</p> <p>(क) हाँ (यदि हाँ, तो कृपया निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए प्ररूप 10इंशक की अभिस्वीकृति संख्या तथा फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें?)</p> <p>2क. क्या आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प जारी रखना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि, नहीं, तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10इंशक की अभिस्वीकृति संख्या तथा फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें)</p> <p>(ख) नहीं(कृपया 'नहीं' चुनें, यद्यपि निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए देय तारीख के पश्चात् प्ररूप 10इंशक भरा गया था 2ख क्या आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प चुनना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हाँ, तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10इंशक की अभिस्वीकृति संख्या तथा फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें)</p> <p>(ग) निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए लागू नहीं होता, चूंकि यहां कोई कारबार आय नहीं थी 2ख क्या आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प चुनना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'हां', तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10इंशक की अभिस्वीकृति संख्या तथा फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें)</p> <p>टिप्पण - धारा 115खकग (6) के अधीन विकल्प, प्ररूप 10इंशक में, धारा 139(1) के अधीन विवरणी फाइल करने की देय तारीख को या से पूर्व, प्रयोग किया जाना चाहिए।</p> <p>2ख (सेट ख)</p> <p>क्या आप धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प जारी रखना चाहते हैं? (व्युत्पन्न "नहीं" है) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं</p>		
(घ ii)	(क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हाँ का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.एफ की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)		
(घ iii)	यदि "नहीं", तो चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया चुना जा रहा. यदि "चुना जा रहा" विकल्प चुना, कृपया पुस्तुत करें	प्रपत्र 10 इंच दि/मा/व	पावती क्रमांक:
(घ iv)	यदि आप नई विनिर्माता सहकारी सोसायटी है, निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 139(1) के अधीन क्या आय से अनिवार्य रूप से आय की विवरणी भरना अपेक्षित था? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(घiv क)	यदि (घiv) का उत्तर हाँ है, तो क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 में धारा 115खकड के अधीन कोई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प प्रयोग किया है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(घiv ख)	यदि (घiv) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने निर्धारण वर्ष 2025-26 में धारा 115खकड के अधीन कोई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प प्रयोग करना चाहते हो? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(घiv ग)	यदि घiv(क) या घiv (ख), हाँ के रूप में चुना जाता है, कृपया प्ररूप 10-इंचक फाइल करने की तारीख तथा अभिस्वीकृति संख्या प्रस्तुत करें	प्ररूप 10इंचक फाइल करने की तारीख दि/मा/व	अभिस्वीकृति सं.
(ड.)	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी		
(च)	क्या निर्धारित की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(ज)	यदि हाँ तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें		
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(ञ)	यदि हाँ तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें		
(ट)	क्या आप एमएसएमई के रूप में मान्यता प्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		

	(ठ)	यदि हां तो, कृपया एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान करें।													
	(ड)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													
	(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या स्पष्टीकरण (2क) से धारा 9(1) में परिभाषित अनुसार भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति है (एस ई पी) (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
	(ण)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।													
	(त)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा (फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--													
		(1) प्रतिनिधि का नाम													
		(2) प्रतिनिधि की हैसियत (डाप डाउन उल्लिखित करें)													
		(3) प्रतिनिधि का पता													
		(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या हाँक/ आधार संख्या													
	थ	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
		फर्म का नाम						स्थायी लेखा संख्यांक							
	द	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश	अंत अतिशेष			
					अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
		1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ध	विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता (एलईआई) ब्यौरा (अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक है) एलईआई संख्या तारीख जब तक वैध													
संपरीक्षा जानकारी	क1	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं													
	क2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड़ / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													
	क2i	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रू. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक													
	क2ii	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													
	क2iii	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													
	ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए) यदि हां का चयन किया जाता है, तो उल्लेख करें कि निम्नलिखित में से किन शर्तों पर:-													
	खi	विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/>													
	खii	धारा 44कघ, 44कघक, 44कड़, 44खख के अधीन आने वाला निर्धारिती, किंतु अनुमानित आधार पर आय नहीं पस्तुत कर रहा (लागु धारा पर टिक करें) <input type="checkbox"/> 44कघ <input type="checkbox"/> 44कघक <input type="checkbox"/> 44कड़ <input type="checkbox"/> 44खख													
	खiii	अन्य (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/>													
	ग	यदि (ख) हाँ है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेखाकार द्वारा की गई है? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं,													



धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए	च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है							
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?						□ हाँ □ नहीं	
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?						□ हाँ □ नहीं	
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?						□ हाँ □ नहीं	
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):							
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?						□ हाँ □ नहीं	
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?						□ हाँ □ नहीं	
	(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?						□ हाँ □ नहीं	
	(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?						□ हाँ □ नहीं	
	कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)						
क्र. सं.		कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो				वर्णन		
(i)									
(ii)									

भाग क- बीएस		31 मार्च, 2025 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)							
निधियों के स्तोत	अ	निधियों के स्तोत							
	1	भागीदार /सदस्यता निधि							
	क	भागीदार /सदस्यता पूंजी						क	
	ख	आरक्षितियाँ और अधिशेष							
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति				खi			
	ii	पूंजी आरक्षिति				खii			
	iii	कानूनी आरक्षिति				खiii			
	iv	कोई अन्य आरक्षिति				खiv			
	v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष				खv			
	vi	योग (खi+खii+खiii+खiv+खv)						खvi	
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क + खvi)						1ग	
	2	ऋण निधि							
	क	प्रतिभूत ऋण							
	i	विदेशी करेन्सी में ऋण				का			
	ii	रूप में ऋण							
अ	बैंकों से				iiअ				
आ	अन्य से				iiआ				
इ	योग (iiiअ+iiiआ)				iiइ				
iii	कुल प्रतिभूत ऋण (का+iiइ)						कiii		
ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)								
i	विदेशी मुद्रा ऋण				का				
ii	रूपया ऋण								
अ	बैंकों से ऋण				iiअ				

	आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख)में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ				
		इ अन्य से	iiइ				
		ई कुल रूपया ऋण (iiअ+iiआ+ii)	iiई				
		iii कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)			खiii		
	ग	कुल ऋण निधि (कiii + खiii)			2ग		
	3	आस्थगित कर दायित्व			3		
	4	अग्रिम					
	i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख)में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i				
	ii	अन्य से	ii				
	iii	कुल अग्रिम (i+ii)			4iii		
5	निधि के स्तोंत (1ग+2ग+3+4iii)			5			
आ	निधियों का उपयोजन						
1	नियत आस्तियां						
निधियों का उपयोजन	क	सकल : ब्लाक	1क				
		ख अवक्षयण	1ख				
		ग शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग				
		घ प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ				
		ङ योग (1ग+1घ)			1ङ		
	2	विनिधान					
	क	दीर्घकालिक विनिधान					
		i	संपत्ति में विनिधान	i			
			साम्या लिखत				
			अ सूचीबद्ध साम्या	iiअ			
			आ असूचीबद्ध साम्या	iiआ			
		इ योग	iiइ				
		iii अधिमानी शेयर	iii				
		iv सरकारी या न्यास संपत्ति याहाँ	iv				
		v डिबेंचर या बंधपत्र	v				
		vi पारस्परिक निधियां	vi				
	vii अन्य	vii					
	viii कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii +iii+iv+v+vi+vii)			कviii			
	ख	अल्पकालिक विनिधान					
		i	साम्या लिखत				
अ सूचीबद्ध साम्या			iअ				
आ असूचीबद्ध साम्या			iआ				
इ योग			iइ				
ii अधिमानी शेयर		ii					
iii सरकारी या न्यास संपत्तियां		iii					
iv डिबेंचर या बंधपत्र		iv					
v पारस्परिक निधियां		v					
vi अन्य		vi					
vii कुल अल्पकालिक विनिधान (iइ+ii +iii+iv+v+vi)			खvii				
ग कुल विनिधान (कviii+खvii)			2ग				
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम						
क	चालू आस्तियां						



			ई योग (iiअ+iiआ +iiइ)	iiई	
			iii योग (iउ+ iiई)	घiii	
		ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)	3ड	
	4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
		ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख	
		ग	लाभ और हानि लेखा/ संचति अतिशेष	4ग	
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ	
	5		निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड +4घ)	5	
लेखा नहीं होने की दशा	ग		उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ती की नियमित लेखा-बहियाँ नहीं रखी जाती, वहाँ हॉ कारबार या वृत्ती की बाबत 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
		1	विविध देनदारों की कुल रकम	ग1	
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम	ग2	
		3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम	ग3	
		4	नकद अतिशेष की रकम	ग4	

भाग अ-विनिर्माण लेखा		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)			
1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन				
	क	आरंभिक सूची			
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i	
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii	
		iii	योग (i + ii)	कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय(घi + घii + घiii)			घ
		i	आवक वहन व्यय	i	
		ii	बिजली और ईंधन	ii	
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
	ड.	कारखाना अधिव्यय			
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i	
		ii	कारखाना किराया और दर	ii	
		iii	कारखाना बीमा	iii	
		iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv	
		v	कारखाना साधारण व्यय	v	
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi	
		vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii	
	च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)			च
2	अंत स्टॉक				
		i	कच्ची सामग्री	2i	
		ii	प्रगति रत कार्य	2ii	
		योग (2i + 2ii)			2
3	उत्पादित माल की लागत -व्यापार लेखा में अंतरित(1च-2)				3

भाग अ- व्यापार लेखा		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)				
व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व				
		क विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iii क		
		ख		iii ख		
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग		
		iv	योग (i + ii + iii ग)		कiv	
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां		ख	
		ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर			
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	वैट/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv			
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii			
	ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix		
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)		4घ		
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5	
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग (4घ + 5iv)			6	
व्यापार लेखा से विकलन	7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक			7	
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)			8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	बिजली और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii		
	10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
		i	सीमा शुल्क	10i		
		ii	प्रति शुल्क	10ii		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
		v	सेवा कर	10v		
		vi	वैट/विक्रय कर	10vi		
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
	11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित			11	
	12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)			12	

12क	इंट्राडे का कारबार का आवर्तन	12क	
12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि को अंतरित	12ख	

## भाग अ-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा को जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)			13	
	14	अन्य आय				
	i	किराया	i			
	ii	कमीशन	ii			
	iii	लाभांश आय	iii			
	iv	ब्याज आय	iv			
	v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	v			
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारत प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ (एस टी टी)	vi			
	vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii			
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix			
	x	कृषि-आय	x			
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		xiक		
	ख		xiख			
	ग	योग (xiक + xiख)	xiग			
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)			15	
लाभ और हानि लेखा से विकलन	16	जावक भाड़ा व्यय			16	
	17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग			17	
	18	बिजली और ईंधन			18	
	19	किराया			19	
	20	भवन की मरम्मत			20	
	21	मशीनरी की मरम्मत			21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
		i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			

	<b>vii</b>	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	<b>22vii</b>		
	<b>viii</b>	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	<b>22viii</b>		
	<b>ix</b>	किसी अन्य निधि में अभिदाय	<b>22ix</b>		
	<b>x</b>	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	<b>22x</b>		
	<b>xi</b>	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर ( <b>22i</b> का <b>22x</b> योग)			<b>22xi</b>
	<b>xii</b>	क्या <b>22xi</b> में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	<b>xii</b>	हां / नहीं	
		यदि हां तो, अनिवासियों को संदत्त रकम	<b>xii</b>	ख	
<b>23</b>	बीमा				
	<b>i</b>	चिकित्सा बीमा	<b>23i</b>		
	<b>ii</b>	जीवन बीमा	<b>23ii</b>		
	<b>iii</b>	प्रमुख व्यक्ति बीमा	<b>23iii</b>		
	<b>iv</b>	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	<b>23iv</b>		
	<b>v</b>	बीमा पर कुल व्यय( <b>23i + 23ii + 23iii + 23iv</b> )			<b>23v</b>
<b>24</b>	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				
<b>25</b>	मनोरंजन				
<b>26</b>	आतिथ्य				
<b>27</b>	सम्मेलन				
<b>28</b>	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)				
<b>29</b>	विज्ञापन				
<b>30</b>	कमीशन				
	<b>i</b>	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	अन्यों को	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	योग ( <b>i + ii</b> )			<b>30iii</b>
<b>31</b>	स्वामिस्व				
	<b>i</b>	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	अन्यों को	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	योग I ( <b>i + ii</b> )			<b>31iii</b>
<b>32</b>	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	<b>i</b>	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	अन्यों को	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	योग ( <b>i + ii</b> )			<b>32iii</b>
<b>33</b>	होटल, भोजन तथा आवास				
<b>34</b>	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय				
<b>35</b>	विदेश यात्रा व्यय				

36	प्रवहण व्यय									36		
37	टेलीफोन व्यय									37		
38	अतिथि गृह व्यय									38		
39	क्लब व्यय									39		
40	उत्सव समारोह व्यय									40		
41	छात्रवृत्ति									41		
42	दान									42		
43	संदान									43		
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)											
	i	संघ उत्पाद शुल्क								44i		
	ii	सेवा कर								44ii		
	iii	वेट/विक्रय कर								44iii		
	iv	उप कर								44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)								44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)								44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)								44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)								44viii		
	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर								44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)								44x		
45	संपरीक्षा फीस									45		
46	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक									46		
47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)											
	i									i		
	ii									ii		
	iii	योग (i + ii)								47iii		
48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)											
	i(1)									48i(1)		
	i(2)									48i(2)		
	i(3)									48i(3)		
	i	अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]								48i		
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)								48ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)								48iii		
	iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii								48iv		
49	अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध										49	

	50	अन्य उपबंध			50		
	51	ब्याज अवक्षयण के पूर्व लाभ और कर [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]			51		
	52	ब्याज					
		i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	i			
		ii	अन्यों को	ii			
		iii	योग (i + ii)		52iii		
	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			53		
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 - 52iii - 53)			54		
कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	55	चालू कर के लिए उपबंध			55		
	56	आस्थगित कर का प्रावधान			56		
	57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)			57		
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष			58		
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)			59		
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित			60		
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 - 60)			61		
उपधारात्मक आय मामले	62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
		(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (iक + iख + iग) (62i 2 करोड़ रू तक सीमित है, तथापि यदि [62i ख+62iग], 62i के 5% से कम या समतुल्य है तो 62i के अधीन सीमा 3 करोड़ रू तक बढ़ जाती है)			62i	
		क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	iक			
		ख	नकद में प्राप्तियां	iख			
		ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति	iग			
		(ii)	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक + iiख)			62ii	
		क	62iक का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक			
	ख	(62iख+62iग) का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख				
		टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
	63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
		(i)	सकल प्राप्तियां(63i, 50 लाख रू तक सीमित है, तथापि यदि [63iख+63iग], 63i के 5% से कम या समतुल्य है तो 63i के अधीन सीमा 75 लाख रू तक बढ़ जाती है)			63i	
		क	खाते में देय चेक या खाते में देय ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिकली निकासी प्रणाली से प्राप्त या विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्राप्त	iक			
		ख	नकद में प्राप्तियां	iख			
		ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति	iग			

	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)	63ii	
		टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है		
64		धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना		
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
		माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)
		मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम , जो भी अधिक हो	
	(i)	(1)	(2)	(3)
	(क)			
	(ख)			
		कुल		
		यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक )		
	(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [ सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]		64(ii)
	(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक		64(iii)
	(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)		64(iv)
		टिप्पण— यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।		
लेखारहित मामला	65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें		
		(i)	कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए	
		क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iक
		1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1
		2	किसी अन्य ढंग से	क2
		ख	सकल लाभ	iख
		ग	व्यय	iग
		घ	शुद्ध लाभ	65i
		(ii)	वृत्तिरत निर्धारिती के लिए	
		क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iiक
		1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1
		2	किसी अन्य ढंग से	क2
		ख	सकल लाभ	iiख
		ग	व्यय	iiग
	घ	शुद्ध लाभ	65ii	

	(iii)	कुल लाभ (65i + 65ii)	65iii
66	i	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन	66i
	ii	सकल लाभ	66ii
	iii	व्यय, यदि कोई हो	66iii
	iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)	66iv

भाग क- अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)	
अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चयनित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चयनित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ xl(3)]	3क
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ xl(4)]	3ख
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
		क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हाँ तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)	
		घ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
		ङ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
	5	लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई रकम, जो-	
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
		ख प्रोफोर्मा प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख
		ग पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
		च लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई कुल रकम(5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकालित रकम	
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमीयम [36(1)(i)]	6क
		ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमीयम [36(1)(ख)]	6ख
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभार्थ के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग
		घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ
		ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiक)]	6ङ
		च किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च
	छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज धारा 80गघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
	झ किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	

ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6 ट	
ठ	इबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6 ठ	
ड	इबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6 ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6 ढ	
ण	कर्मचारियों के बीच परिवार कल्याण से संवर्धन के प्रयोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6 ण	
त	प्रतिभूतियों से संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है। [36(1)(xv)]	6 त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6 थ	
द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द	
ध	कोई अन्य अनुज्ञेय	6 ध	
न	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का योग)	6 न	
प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारिती की मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i भारत में तैनात	i	
	ii भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेख में विकालित रकमें		
क	पूंजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणीका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]		
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ	
ज	प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7 ञ	
8	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकालित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (iक) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क)(iख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40( क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहित या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)]	अच	
छ	राजस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iiड) के अनुसार संदत्त रकम	अछ	
ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	

	झ	कोई अन्य अनुज्ञेय	अ झ		
	ज	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक सेअझ का योग)		8अज	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम		8आ	
9		धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेख में विकालित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
	ग	उपदान के लिए [40क (7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, ए ओ पी या ब ओ आइ या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40क (9)]	9घ		
	ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ		
	च	कोई अन्य अनुज्ञेय	9 च		
	छ	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(9क और 9ङ का योग)		9 छ	
10		किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(10क से 10ज का योग)		10झ	
11		पूर्व वर्ष के लाभ-हानी लेख में विकालित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		

	ड	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड		
	च	छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(11क से 11ज का योग)			11 झ
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ड	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ड		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम(12क से 12ज का योग)			12झ
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ-हानी लेखे में (शुद्ध) जमा या विकालित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय व्यय				16
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17

भाग क-(परिणात्मक ब्यौरे		[परिणात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक())				
परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में				
	1	आरंभिक स्टॉक		1		
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2		
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3		
	4	बंद स्टॉक		4		
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो		5		
	(ख)	विनिर्मान समुत्थान की दशा में				
	6	कच्ची सामग्री				
		क	आरंभिक स्टॉक		6क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		6ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग		6ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		6घ	
		ड	बंद स्टॉक		6ड	
		च	प्राप्ति तैयार उत्पाद		6च	
		छ	प्राप्ति का प्रतिशत		6छ	
		ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो		6ज	
	7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद				
		क	आरंभिक स्टॉक		7क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		7ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा		7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		7घ		

	ड	बंद स्टॉक	7ड
	च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च

**विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरे)**

<b>अनुसूची गृह संपत्ति</b>		<b>गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेश को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)</b>									
1	संपत्ति का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / जिप कोड						
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन नहीं है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)										
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %										
	<b>सह स्वामी (स्वामियों) का नाम</b>		<b>सह-स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या</b>			<b>संपत्ति में अंश की प्रतिशतता(%)</b>					
I											
II											
2	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएँ (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम )यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) / आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)				किराएदार(रों) का पैन / टैन/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)				
		I									
3	क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य									1क
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती									1ख
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर									1ग
	घ	योग (1ख + 1ग)									1घ
	ङ	वार्षिक मूल्य(1क - 1घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)									1ङ
	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)									1च
	छ	1च का 30%									1छ
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (ब्यौरों को ड्रापडाउन में भरा जाए, जो ई-फाइलिंग यूटिलिटी में उपबंधित किए जाने हैं)									1ज
	झ	योग (1छ + 2ज)									1झ
	ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%									1ञ
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)									1ट	
(प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग विवरण भरे)											
2	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*									2	
3	" गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2ख का अंक लें )									3	
<b>टिप्पण</b>		यदि धारा 194ख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है । यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।									

<b>अनुसूची - कारबार या वृत्ति</b>		<b>कारबार या वृत्ति से आय की संगणना</b>									
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति									
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकम (भाग क-पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv))									1
	2क	1में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि ( -ve चिन्ह हानि की दशा में प्रविष्ट करें) [व्यापार खाते की क्रम सं. 12ख] + लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv ]			2क						
	2ख	1में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रविष्ट करें)									2ख
	3	115खख के अधीन प्रभार्य या 115खख के अधीन प्रभार्य या 115खख के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां			क	गृह संपत्ति	3क				
				ख	पूंजी अभिलाभ	3ख					
				ग	अन्य स्रोत	3ग					

		गii	लाभांश आय	3गii		
		गiii	लाभांश आय के अलावा	3गiii		
		घ	धारा 115खखच	3घ		
		ङ	धारा 115खखछ	3ङ		
		च	धारा 115 खखज के तहत (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	3च	अनुसूची वीडिए का मद सं. (क)	
4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कङ/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखग/ 44घक/ 44घक में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)			4क		
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ			4ख		
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)			4ग		
5	(1में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है					
	(क)	फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क			
	(ख)	ए ओ पी /बी ओ पी से आय का अंश	5ख			
	(ग)	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		ग i			
	ii		ग ii			
	iii	योग (ग i + गii)	5ग	iii		
	(घ)	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)		5घ		
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ङ - 3च - 4क - 4ख - 4ग - 5घ)					
6	6					
7	115खखच के अधीन प्रभार्य/115खखछ के अधीन प्रभार्य/ 115 खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क		
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख		
		ग	अन्य स्त्रोत	7ग		
		घ	धारा 115खखच	7घ		
		ङ	धारा 115खखछ	7ङ		
		च	धारा 115 खखज के तहत अधिग्रहण की लागत के अलावा	7च		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय			8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)			8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)					
9	9					
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)					
10	10					
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण					
11	11					
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)	12i			
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करें आयकर नियम के परिशिष्ट-इक के अनुसार)	12ii			
	iii	कुल (12i + 12ii)				12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)					
13	13					
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णइ का 6s)			14		
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णइ का 7इ)			15		

16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ण्ड का 8कज)	16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ण्ड का 9छ)	17	
18	{पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय (भाग क -ण्ड का 11झ)	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 35कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय	21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित नहीं की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें हानि निर्धारित भागीदार है)	24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची ण्ड का स्तंभ 3क + 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नाम डाली गई है ( अनुसूची उधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नाम डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24में जाएगी)	28	
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम(भाग क -ण्ड का 8ख)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ण्ड का 10झ)	30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31	
32	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची ण्ड का स्तंभ 3ख+ 4ड.)	32	
33	कुल (27+28+29+30+31+32)	33	
34	आय (13+26-33)	34	
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ती के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ [ अनुसूची का 62(ii)]	35i	
	ii धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	35ii	
	iii धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	35iii	
	iv धारा 44ख	35iv	
	v धारा 44खख	35v	
	vi धारा 44खखक	35vi	
	vix धारा 44खखग	35vi ख	
	vii धारा 44घक	35vii	
	viii धारा 44घख	35viii	(प्ररूप 3 गड की मद 4)
	ix कुल (35i से 35viii)	35 ix	
36	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ती से शुद्ध लाभ या हानि (34+35ix)	36	
37	नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हो तो, को लागू करने के पश्चात सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होती है तो 37 में कोई संख्या भरें)(यदि हानि है तो 2i की मद को ड में ले जाए) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ड + 37च)	क 37	
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क	

		ख नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ख		
		ग नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ग		
		घ नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37घ		
		ङ नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ङ		
		च नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 36)के सिवाय आय	37च		
	38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(37क+37ख+37ग+37घ+37ङ.)]	38		
	आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	39		
	40	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	40		
	41	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियाँ	41		
	42	सट्टेबाजी के कारबार से आय (हानि की दशा में 6xvi के अंक को अनुसूचीगच ठमें ले जाए)	आ42		
	इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
	43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	43		
	44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	44		
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है)	45		
	46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43+44-45)	46		
	47	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियाँ (1)	47		
	48	विनिर्दिष्ट कारबार से आय (46-47) (हानि की दशा में 7xvi के अंक को अनुसूचीगचठ में ले जाए)	इ48		
	49	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाए)	इ49		
	ई	कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क37+ ख42+ ग48)	घ		
	उ	चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे के खाते में डालने के अंतः शीर्ष			
	क्र. सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डाल
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	बट्टे खाते में डाली जानी वाली हानि(इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या सकारात्मक)		(क 37)	
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
	v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii + iv)			
	vi	बट्टे खाते में डालने के पश्चात शेष हानि (i - v)			

**अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण** संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	क्र. सं.	विवरण	संयंत्र और मशीनरी			
			15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	1	आस्तियों का ब्लाक				
	2	दर (%)				
	3क	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	3ख	धारा 115 ख क ग की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अनुसार समायोजन				
	3	कुल (3क+3ख)				
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				

5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,				
17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अननुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास				
19	आस्ति / आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 -3- 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण		अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )						
अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन						
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन						
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						

12	कुल अवक्षयण (10+11)							
13	आयकर अधिनियम (स्तंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात मूल्यहास,							
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)							
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास							
16	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 -3- 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी		आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियोंसे भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )	
आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी	
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ
	ङ	संयंत्र और मशीनरी का पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)	
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)	3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)	4	
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)	5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)	6	

अनुसूची - डीसीजी		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ	
आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी	
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20i)	1क
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)	1ख
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)	1ग
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ
	ङ	योग (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)	
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख

ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग	
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीपीएम 17v)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)		4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)		5
6	योग (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)		6

अनुसूची इएसआर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती )		
क्र.स.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकमसे अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
	(1)	(2)		(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35 गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(iik) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें ।			

अनुसूची- पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ							
क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ( एसटीसीजी ) (उप-मद 4 और 5 अनिवासियों के लिए लागू नहीं है)								
पूंजी अभिलाभ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)						
			क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/माह/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तारीख/माह/वर्ष				
			क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	कi			
				ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारीके अनुसार संपत्तिका मूल्य	कii			
				iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (कi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (कi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]	कiii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
				i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i			
				ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii			
				iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii			
				iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv			
				v	योग ( ख i + ख ii + ख iii + ख iv )	ख v			
			ग	तुलन कiii - ख v)			1 ग		
			घ	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घमें ब्यारे विनिर्दिष्ट करें )			1 घ		
			ड	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			क 1 ड		
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)							
		क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , जिप कोड	पिन कोड	राज्य





			i	2021-22	54छ/54छक								
			ii	2022-23	54छ/54छक								
			iii	2023-24	54छ/54छक								
			ख	धारा 54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
			ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि								7ग	प्रपत्र 5ग का क्रम सं. 4ख
				लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + xii + xiii + ख + ग)								क7	
	8			लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(क8क1+क8कii+क8ख+क8ग)								क8	
		क1		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभार्य								क8क1	
		कii		लघु अवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/हानि में माध्यम से पास, 25% की दर से प्रभार्य								क8कii	
		ख		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य								अ8ख	
		ग		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य								अ8ग	
	9			क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है									
		क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आईटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		I											
		II											
		क		डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि								क9 क	
		ख		डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीजीटी प्रभार्य कर के दावे की कुल रकम								क9 ख	
		क(क)		शेयर वापिस खरीदने पर पूंजी हानि 1 अक्टूबर, 2024 को या के पश्चात् (केवल तभी दावा की जा सकती है, यदि धारा 2(22) (च) के अधीन कृत्रिम लाभांश आय आफर की जाए) [लघु अवधि पूंजीगत हानि, 20%/30%दर पर/ लागू दर ]									
	10			कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ( क1 ड+ क2 ग+ क3 ड + क4 क+ क4ख+ क5 ड + क6छ + क7 + क 8 - क 9क)								क 10	

ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उप-मद 6, 7 और 8 लागू नहीं )										
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से(प्रत्येक संपत्ति के ब्योरे पृथक् रूप से भरें)(क से च तक)( सह-स्वामित्व के मामले में, पूंजीगत लाभ का अपना हिस्सा दर्ज करें)									
		क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष						
		क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य						क1	
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						कii	
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (क1) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (क1) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]						कiii	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ								
			i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी						ख i	

				ii अर्जन की लागत		ख ii					
				iiक सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख iiक					
				iiख सूचीकरण के बिना सुधार की कुल लागत 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किए गए अंतरणों के लिए		ख iiख					
				(क) सुधार की लागत सूचीकरण के बिना							
				(ख) सुधार वर्ष							
				(ग) सूचीकरण के साथ सुधार की लागत( ख और ग केवल तभी लागू होते हैं यदि अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व होता है)							
				पंक्ति सम्मिलित करें							
				iii पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय		ख iii					
				iv योग ( जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व होता है, ख i + ख iiक + ख iiख(ग) + ख iii, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् होता है, ख i + ख ii + ख iiख(क) + ख iii)		ख iv					
				ग शेष ( क iii - ख i v)		1 ग					
				घ धारा 54घ/ 54 डग/ 54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )		1 घ					
				ड स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			ख 1 ड				
				च स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
				क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य
				टिप्पण ► यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज़ापक एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।							
				छ स्थावर संपत्ति पर कुल दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ड), जहां अंतरण – (क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था( 23 जुलाई 2024 से पूर्व अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभ का जोड़ ) (ख) 23 जुलाई, 2024 के पश्चात् किया गया था( 23 जुलाई 2024 के पश्चात् अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभ का जोड़)							
				2 स्लम्य बिक्री से		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (i) से पूर्व किया गया था	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024(ii) को या के पश्चात् किया गया था				
				i नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य		2कi					
				ii नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य		2कii					
				iii प्रतिफल का पूरा मूल्य(क i या क ii का अधिकतम)		2कiii					
				ख वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य		2ख	[6ड प्ररूप 3गडक]	[6ड प्ररूप 3गड क]			

			ग	शेष (2कiii - 2 ख)	2ग				
			घ	धारा 54डग के अधीन कटौती	2घ				
			ड	स्लम्य के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)					
	3	असूचीबद्ध बंध पत्रों या असूचीबद्ध डिबेंचरों के विक्रय से निवासीयों से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न) (केवल वहाँ लागू होगा जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था)							
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
			i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम धारा 48 के खंड (iii) के अनुसार कमी)	ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
			iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
			iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
			v	योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख v				
			ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)			ख 3ग		
	4	धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र के विक्रय से			जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था	जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् किया गया था			
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
			i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम धारा 48 के खंड (iii) के अनुसार कमी)	ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
			iiक	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत(जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, अधिक्क कर की संगणना के प्रयोजन के लिए केवल लागू होता है, जिसे धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अपेक्षित किया जाए	ख iiक				
			iii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत	खiii				
			iiiक	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत(जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, केवल अधिक्क कर की संगणना के प्रयोजन के लिए लागू होता है)	ख iiiक				
			iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
			v	योग ( जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था ख i + ख ii + ख iii + ख iv)( ख i + ख ii क + ख iii क + ख iv, जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व या पश्चात् किया गया था)	ख v				
			vक	योग ( ख i + ख ii + ख iii)(धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अधिक्क कर की संगणना के प्रयोजन के लिए) (जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	खvक				
			ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख v)	ख 4 ग	(i)	(ii)		

			उपर ख4 पर आस्तियों पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था (4क - 4वक) ( धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अधिक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए)	ख4गक		
			धारा 112(1)(क)(ii)(क) या 112(1) (ग)(ii)(क) के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना 25% पर एलटीसीजी] [ख4 (गक)* 20%] ( वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था)	ख4घ		
			धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना 10% पर एलटीसीजी][ख4(गक)*10%][लागू वहीं होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व लागू होता है।	ख4ड.		
			धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षा किए जाने के लिए अपेक्षित अधिक्य रकम [ख4(घ)- ख 4(ड)] [वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था ]	ख4च		
5		किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरों-मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से				
			उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ ( अनुसूची 112 क के कॉलम 14 )	ख5		
			(i) स्तंभ 14 का जोड़ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व होता है	ख5i		
			(ii) स्तंभ 14 का जोड़, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् होता है	ख5ii		
6		अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मूद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
			इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी i. 23 जुलाई 2024 से पूर्व- सूचीबद्ध डिबेंचर ii. 23 जुलाई 2024 से पूर्व- सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. 23 जुलाई 2024 को या के पश्चात् (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	ख6		
				ख6i		
				ख6ii		
				ख6iii		

			7 अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1) (ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियों, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से					
			क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
			ख	क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क		
				ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ख		
				ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ( क और ख से उच्चतर)	ग		
			ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
			iii	कुल (ग + ii)	क iii			
			ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
			i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम की धारा 48 के खंड (i i) के अनुसार कमी	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii			
iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii						
iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv						
v	योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख v						
ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7 क - 7 ख iv)	ख 7 ग						
i	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था [7(i), 7(ii) और 7(iii) को लागू	ख7गii						

		ii	जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात हुआ था [7(i), 7(ii) और 7(iii) को लागू	ख7गi i	
		iii	धारा 115 कघ में निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय से	ख7गi i	
	8		एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 115 कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से		
			उपर्युक्त ख8 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ( 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14(iii))(8 i+8 i i)	ख8	
		i	स्तंभ 14 का जोड़ जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था	ख8 i	
		ii	स्तंभ 14 का जोड़ जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात हुआ था	ख8 i i	
	9		आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर ख 1 सेख 8 लागू नहीं होते हैं	जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था(i)	जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात हुआ था
		क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।		
			क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ik	
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ix	
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25कक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ( क और ख से उच्चतर)	ig	
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (ig + ii)	क iii	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
		i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम की धारा 48 के खंड (i i i) के अनुसार कमी	ख i	
		ii	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत अंतरण के लिए 23 जुलाई, 2024 से पूर्व तथा बिना सूचीकरण के अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात किया गया	ख ii	
		iii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत के लिए अंतरण 23 जुलाई से पूर्व किया गया तथा बिना सूचीकरण के लिए अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात किया गया	ख iii	
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv	
		v	योग ( ख i + ख ii + ख iii+ख iv)	खv	
		ग	अतिशेष (क iii- खv)	9 ग	
		घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 घ	
			ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहाँ अंतरण (9ग-घ)	ख 9 ड	
		ड	(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	ख9ड i	
			(ii)23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात	ख9ड i i	
	10		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		

क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं									
	क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि			नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	क्या परिसीमा/निकासी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी
	i	2021-22	54घ/54छ/54क							
	ii	2022-23	54घ/54छ/54क/54क							
	iii	2023-24	54घ/54छ/54क							
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (i+ii)							ख		
i	जहां मानित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ 23 जुलाई, 2024 से पूर्व उद्भूत हुआ							ख i		
ii	जहां मानित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात उद्भूत हुआ							ख ii		
ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि						10ग	प्रपत्र 5ग का क्रम सं. 4ख		
i	जहां मानित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ 23 जुलाई, 2024 से पूर्व उद्भूत हुआ						10गi			
ii	जहां मानित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात उद्भूत हुआ						10गii			
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + कxii + कxiii + ख+ग)						ख10			
i	जहां मानित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ 23 जुलाई, 2024 से पूर्व उद्भूत हुआ						ख10i			
ii	जहां मानित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात उद्भूत हुआ						ख10ii			
11	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय, (अनुसूची तनझ भरें) (ख11क1(i) + ख11क1(i i) + ख11क2(i) + ख11क2(i i) + ख11क2ख)						ख11			
	क1(i)	दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय				ख11क1				
	क1(i i)	दीर्घ अवधि पूंजीगत आय/हानि की प्रकृति के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभाय				ख11क1(i i)				
	क2	धारा 112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय				ख11क2(i)				
	क2(i i)	दीर्घ अवधि पूंजीगत आय/हानि की प्रकृति के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभाय				ख11क2(i i)				
	ख	दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभाय				ख11ख				

12	ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एस्टीमेट की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य होने का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है									
	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आईटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी दावा की गई दावा की गई अप्रभार्य नहीं कर की कुल राशि								ख12क
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी दावा की गई प्रभार्य कर की कुल राशि								ख12ख
	ख(क)	1 अक्टूबर, 2024 को या के पश्चात शेयर वापिस खरीदने पर पूंजी हानि अनिवासियों के लिए धारा 115कघ के अधीन कवर संव्यवहारों के लिए दीर्घावधि 12.5% की दर पर								ख(क)
13		कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9 च + ख10 + ख11 - ख12क+ ख(क) )								ख13

ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (सारणी ड के 11ii+11iii+11iv+11v+11vi+11vii+11viii+11ix+11x)								ग1	
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय( अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)								ग2	
ग3	"पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय ( ग1+ग2)								ग3	
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना									
1	धारा 54घ / धारा 54डग/धारा 54छ /धारा 54चक के अधीन कटौती की दशा में हानि निम्नलिखित ब्यारे दें *									
	क	54 घ के अधीन किया गया कटौती का दावा								
		i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष					
		ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत	क ii						
		iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष					
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv						
			(ivक) जमा की तारीख	(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड					
			दिन/मास/वर्ष							
		v	कम किए गए दावे की रकम					क v		
	ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा								
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष					
		ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम (50 लाख से अधिक नहीं)	ख ii						
		iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष					
		iv	कम किए गए दावे की रकम	ख iv						
	ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा								
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष					
		ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ग ii						
		iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष					



Vii	10%	आ5* <i>i</i> + ख6 <i>ii</i> + आ7* <i>i</i> + +ख7* <i>iii</i> + आ8* + आ11क1* <i>i</i> + आ11क2* <i>i</i> +ख(क )																		
viii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	12.5%	ख1छख+ख2ड* <i>ii</i> + ख4ग* <i>iii</i> +ख5* <i>ii</i> +ख6 * <i>iii</i> + ख7ग* <i>iii</i> +ख8* <i>ii</i> +ख9 * <i>ii</i> +ख10* <i>ii</i> +ख11 क1* <i>ii</i> +ख11क2* <i>ii</i> + ख(क)																	
ix	20%	(आ1छक*+ आ2ड*+ आ3* +ख4ग* <i>i</i> + आ6* <i>i</i> + आ9ड*+ आ10* <i>i</i> + आ11ख)																		
x	डीटीए दर	आ12ख																		
Xi	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)																			
xii	मुजरा के पश्चात शेष हानि (i - xi)																			
			इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-अ8) वैसे ही प्रतिभूतियों के मुजरा के पश्चात में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।																	
			इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ11) वैसे ही प्रतिभूतियों के मुजरा के पश्चात में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।																	

## च पूंजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विषय में सूचना

	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/1 2 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	20% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vk से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
5	डीटीए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
6	10% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7	12.5% की दर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xख से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
8	20% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
9	डीटीए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
10	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					



अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक		गेर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 115कघ(1)(ख)(iii) के परंतुक के साथ पठित धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है													
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई 31 जनवरी, 2018 को या पूर्व/पश्चात्	शेयर/यूनिट अंतरित (23 जुलाई, 2024 को या पूर्व/पश्चात्)	आईएसआईएन कोड	शेयर/इकाई का नाम	शेयर/इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का विक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल विक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर-5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 8 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 1ख)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1															
2															
3															
4															
	पंक्ति जोड़ें														
	i. स्तंभ 14 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था। ii. स्तंभ 24 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् हुआ था iii. धारा 115कघ (1)(ख)(iii) के परंतुक से साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीसीजी का योग														

अनुसूची वी.डी.ए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: जहां प्रत्येक 'हस्तांतरण' संव्यवहार है, प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएंगे)				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम( हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
क कुल (स्तंभ 7 में व्यावसायिक आय की सभी सकारात्मक आय का योग)						(अनुसूची बी पी का मद सं. 3 च)
ख कुल (स्तंभ 7 में पूंजीगत लाभ की सभी सकारात्मक आय का योग)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग2 )

अनुसूची-अन्य स्त्रोत		अन्य स्त्रोतों से आय		
अन्य स्त्रोत	1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1
	क	लाभांश, सकल		1क
	i	धारा 2(22)(ड़) के तहत लाभांश आय(का+कii+कiii)	का	
	ii	(ii) या (iii) के अलावा लाभांश आय	काii	
	iii	धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	काiii	
	ख	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv)		1ख
	i	बचत खाता से	खi	
	ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खii	
	iii	आय कर प्रतिदाय से	खiii	
	iv	पास धु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खiv	
	v	अन्य	खv	
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग
	घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)		1घ
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घi	
	ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii	
iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii		
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि	
	1	धारा 56 (2)(xii) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी कारबार न्यास से किसी इकाई धारक द्वारा प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट रकम		
		आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क(i) + 2क(ii)+2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित )		2	
	का	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली,दौड़ और कार्ड गेम आदि जीतने से हुई आय	2क	

का	धारा 115 खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन गेम जीतने से हुई आय	2कख	
ख	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य आय (खि + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खि	
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii	
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii	
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv	
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गा से गखiii का योग)	2 ग	
i	धारा 115 क (1) क क के परन्तुक से भिन्न धारा 115 क (1) (क) के अधीन प्रभार्य, अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग i	
ik	धारा 115 क (1) (क)(क) के परन्तुक के अधीन प्रभार्य अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या धारा 80 ठफ की उपधारा 1क में यथा निर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के इकाई से किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग ik	
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग ii	
iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii	
iv	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv	
v	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v	
vi	धारा 115ए(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi	
vii	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	ग vii	
viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग viii	
ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग ix	
x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग x	
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi	
xii	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त आय	ग xii	
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	ग xiii	
xiv	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiv	
Xv	कतिपय मामलों में अनाम संदान - धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	ग xv	
xvi	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व द्वारा आय	ग xvi	
xvii	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvii	
xviii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	ग xviii	
xix	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)	ग xix	
xx	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx	
xxi	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxi	

		xxii	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य- (धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा) प्रतिभूतियों के संबंध में निर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त आय (लाभांश के अलावा)	ग xxii						
घ			विशेष दरों पर प्रभार्य का दावा की गई अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पास थू आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाए)							2घ
ड			ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य राशि 2 च (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग)							2ड
	क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मद्दु सं० 1क, 1कiii, 1ख से 1घ, 2क से 2घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीटीए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									

3	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (आय प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क, 2ख, 2ग, 2घ एवं 2ड के अलावा)	
क	व्यय / कटौतियाँ "ग" में इंद्रराज के अलावा	3क
ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)	3ख
ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) (i) और /या 1क(ii) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंद्रराज	3ग
गii	धारा 57(i) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि	3गii
घ	योग	3घ
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	4
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5
6	अन्य स्रोतों से निवल आय 1(डीटीटीए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/में आंकड़े भरें)	6

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रूप 6 दर्ज करें, यदि नकारात्मक)	7					
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
क	प्राप्तियाँ	8क					
ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	8ख					
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11.xv में आंकड़े भरें)	8ड					
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (नकारात्मक की दशा में 8ड को ले जाएं)	9					
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना						
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 से 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय					
	2	धारा 115 ख ख ज के अधीन ऑनलाइन गेम्स जीतने से हुई आय					
	3क	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय					
	3ख	क्रम सं. 1क (iii) में संदर्भित लाभांश पर आय					

4	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलित)						
5	धारा 115 क (1)(क)(क) के परन्तुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
6	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
7	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
8	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलित है)						
9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सी.वाई.एल.ए चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात आय के ब्यौरे							
क्र. सं.	आय का शीर्ष /स्त्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है )	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति है। हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न )	अन्य स्त्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न	मुजरे के पश्चात शेष बची चालू वर्ष की आय	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4	
चालू वर्ष हानि समायोजन	i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)	(अनुसूची एच पी का 3)	(अनुसूची बीपी के मद ड का 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)		
	ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एच पी का 3)				
	iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एच पी का क 37)				
	iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iv)				
	v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3ii)				
	vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iii)				

viiक	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11ii)				
viiख	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ कराद्येय है	अनुसूची सीजी की मद ड का 11iii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11iv)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11v)				
x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11vi)				
xiक	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11vii)				
xiख	12.5% की दर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कराद्येय है	(सीजी अनुसूची की मद ड. का 11 viii)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11viii)				
Xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11 ix)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची-बी.एफ.एल.ए		पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात आय के ब्यौरे				
क्र. सं.	आय का शीर्ष /स्त्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक(रिबेट)	मुजरे के पश्चात शेष बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्तिसे हानि है)			
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सद्दा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है ) (टिप्पण: धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय अवक्षय मुजराई कारबार आय तक निर्बंधित होगी)	(टिप्पण: धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय अवक्षय मुजराई कारबार आय तक निर्बंधित होगी)		
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है )			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है )			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है )			
viक	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है )			
viख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ कराधेय है	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viख)	ख यदि अग्रणीत अल्पकालिक हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है )			
viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है )			
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है )			
xक	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है )			
xख	12.5 प्रतिशत की दर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कराधेय है	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiख)	(ख यदि अग्रणीत अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है )			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है )			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है )			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व के अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात शेष बची हानि	योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5viक + 5viख + 5vii + 5viii + 5ix + 5xक + 5xख + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)				

अग्रणीत हानि समायोजन

अनुसूची-सी.एफ.एल		भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण										
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	फाईल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति से हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से हानि		सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसाय से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि	
				कारबार हानि अग्रणीत	धारा 115ख कघ या 115ख क ग (1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प							
1	2	3	4	5क	5ख	5ग = 5क-5ख	6	7	8	9	10	11
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
Xii	2021-22											
Xiii	2022-23											
Xiv	2023-24											
Xv	2024-25											
Xvi	पूर्व वर्ष की हानियों का योग अग्रणीत अनुसूची बीएफएल ए में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएल ए का 2i)			(अनुसूची बीएफएल ए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएल ए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएल ए का 2v)	(अनुसूची बीएफएल ए का 2iii)			(अनुसूची बीएफएल ए का 2xiii)
xvii	2025-26 चालू वर्ष की हानि		(अनुसूची सीवाईएल ए का 2xvii)			(अनुसूची सीवाईएल ए का 3xvii)	(अनुसूची बीपी का ख42, यदि नकारात्मक है)	(अनुसूची बीपी का ग48, यदि नकारात्मक है)	अनुसूची बीपी का क4ख यदि नकारात्मक है)	(2xii+3xii+4xii+5xii+6xii) अनुसूचीसी जी के मद ड)	(7xii + 8x+9xii+ 10xii) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि - नकारात्मक है)

हानि का अग्रणयन

	xix	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित ( निवेश निधि के लिए लागू)											
	Xx	चालू वर्ष की हानियां अग्रणीत (xviii-xix)											
	xxi	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xvi-xvii+xx)											

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण		धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक						
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	धारा 115खकघ या 115 ख क ग (1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव			
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ बढ़ना(रु.)	लाभ घटना(रु.)	शुद्ध प्रभाव(रु.)	
1	2	3	4	5	
I	लेखा नीति				
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ग झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)				
III	संनिर्माण संविदाएं				
IV	राजस्व मान्यता				
V	मूर्त नियत आस्तियां				
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन				
VII	सरकारी अनुदान				

VIII	प्रतिभूतियाँ (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ग झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियाँ की व्यवस्था			
XI	लाभ पर आईसीडीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती		
धारा 10कक के अधीन कटौती	अवशेष औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क्रम संख्या	वचनबंध	निर्धारण वर्ष इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन/सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम संख्या
	क	वचनबंध सं.0 1		क
	ख	वचनबंध सं.0 2		ख
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियाँ (क+ख)		
			कटौती की रकम	
			(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 1 के लिए	
			(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 2 के लिए	

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे			
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i			
		ii			
		iii	कुल		
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i			
		ii			
		iii	कुल		
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i			
		ii			
		iii	कुल		
	घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम
				दान के लिए उपयुक्त रकम	
		नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i				
	ii				
	iii	कुल			
ड	कुल दान (का+ख+ग+घ)				

अनुसूची 80 छछक		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे					
क्रम संख्या	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (झापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची 80 छछग		राजनैतिक दलों को चंदे का विवरण					
क्र.सं.	दिनांक	चंदे की राशि			चंदे के योग्य राशि	यूपीआई अंतरण या चेक नंबर के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आईएफएस कोड
		चंदा नकद में	अन्य माध्यम में चंदा	कुल चंदा			
i							
	पंक्ति जोड़ें						
	कुल चंदा						

अनुसूची 80 झकग		योग्य स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती (यदि क19(छ) का उत्तर हां है तभी भरा जाए)				
क्रम संख्या	स्टार्ट-अप के निगमन की तिथि	व्यापार की प्रकृति	अंतर मंत्रीस्तरीय प्रमाणन बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

अनुसूची 80 ठक		अपतटीय बैंकिंग इकाई या आईएफएससी संबंध में कटौती					
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया							
क्रम संख्या	इकाई का प्रकार	इकाई के आय का प्रकार	पंजीकरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	पंजीकरण की तिथि	पंजीकरण संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पंक्ति जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा							
कुल							

अनुसूची आर. ए		अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iik) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन कटौती)				
	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					

अनुसूची-80-झ.क		धारा 80-झ.क के अधीन कटौतियाँ		
क	धारा 80-झक(4)(i)में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियाँ (अवसंरचना सुविधा)	क1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		क2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ख	धारा 80-झक(4)(iv)में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)			ग

अनुसूची-80-झ.ख		धारा 80-झ.ख के अधीन कटौतियाँ		
क	जम्मू कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा 80झख(4)]	क1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		क2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनीज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है। [धारा 80झख(9)]	ख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		ख2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
ग	गृह प्रयोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(10)]	ग1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		ग2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परीक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	घ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		घ2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	ङ 1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		ङ 2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
च	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)			च

अनुसूची 80-झ.ङ				
क	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			
कक	असम	कक1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		कक2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
कख	अरुणाचल प्रदेश	कख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		कख2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
कग	मणिपुर	कग1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		कग2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
कघ	मिजोरम	कघ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		कघ2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
कङ	मेघालय	कङ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		कङ2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
कच	नागालैंड	कच 1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		कच 2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
कछ	त्रिपुरा	कछ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)

		कछ2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	कज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (कक1 से कछ 2 का योग)			कज
ख	धारा धारा 80झड के अधीन कुल कटौती				ख

अनुसूची 80त		धारा 80त के अधीन कटौतियाँ		
		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबद्ध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संघीय सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां ।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ड) वाणिज्यिक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची - VIक		अध्याय VIक के अधीन कटौतियाँ			
कुल कटौतियाँ	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
	क	80छ		ख 80छछख	
	ग	80छछग			
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)				1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
	घ	80-झक	(अनुसूची 80-ठक का च )	ड 80-झकख	
	च	80-झकग	(अनुसूची 80-झ कग का 6)	छ 80-झख	(अनुसूची 80- झख का च )
	ज	80-झखक		झ 80झड	(अनुसूची 80झड का ख )
	ञ	80जजक		ट 80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलप्रक में क्रम सं. 5/(अiv) +5//
	ठ	80ठक(1)	(अनुसूची 80-ठक का 8)	ड 80ठक(1क)	(अनुसूची 80-ठक का 8)
	ण	80त			
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)				2
	3	अध्याय VIक के अधीन कुल कटौती (1 + 2)			3

अनुसूची-ए.एम.टी		धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना			
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय		1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ" के अधीन अध्याय VIक में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख		
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवक्षाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग		
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख+2 ग)	2घ		
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)			3
	क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो			3क
	ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय			3ख
	4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति [(3 ख) का 18.5 % या 15% (3 क) का 9 % जैसा अनुप्रयोज्य हो] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)			4

अनुसूची ए.एम.टी.सी		धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2025-26 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 1घ)			1		
2	निर्धारण वर्ष 2025-26 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 4)			2		
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]			3		
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोगित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती					
	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटी प्रत्यय (ख)		चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी (ग)	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग)
			सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख1) - (ख2)	
	i	2011-12				
	ii	2012-13				
	iii	2013-14				
	iv	2014-15				
	v	2015-16				
	vi	2016-17				
	vii	2017-18				
	viii	2018-19				
	ix	2019-20				
	x	2020-21				
	xi	2021-22				
	Xii	2022-23				
	xiii	2023-24				
	Xiv	2024-25				
	xv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविष्ट करें)				
	xvi	योग				
5	धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)]			5		
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]			6		

अनुसूची एसआई		विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)			
क्र.सं.	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1क	111क या धारा 115कघ(ii)- परंतुक (शेयर/साम्या, उन्मुख एम एफ पर एसटीसीजी, जिस पर ए टी ओ संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व लागू हुआ था]	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi क भाग)	
1ख	111क या धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- [शेयर यूनितों पर एसटीसीजी, जिस पर एसटीसीजी संदत्त है] [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi ख का भाग)	
2	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी जहां एसटीटी का भुगतान नहीं किया गया हो)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vii का भाग)	
3 क	112(1) का परंतुक (सूचीकरण के साथ एलटीसीजी पर सूचीबद्ध [जहां अंतरण 23 जुलाई से पूर्व हुआ था, जैसा लागू हो, तथा अनुसूची सीजी यदि कोई है के क्रम सं. ख4(च) को ध्यान में रखने के पश्चात् उस पर कर।]	☐	20(अनुसूची सीजी के ख4च द्वारा कमी यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
3 ख	112(1)(सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनितों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3viiiख का भाग)	
4 क	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
4 ख	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xख का भाग)	
5 क	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनितों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
5 ख	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनितों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था।	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xख का भाग)	
6 क	115कग (बंध पत्र/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
6 ख	115कग (बंध पत्र/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xख का भाग)	
7	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
8 क	112(अन्य दर पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण/घटना 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था]	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x/का भाग)	
8 ख	112(अन्य दर पर एलटीसीजी)[ जहां अंतरण/घटना 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xख)	
9 क	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)- परंतुक (शेयरों या यूनितों के विक्रय पर एलटीसीजी, जिन पर एसटीटी संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक)	
9 ख	112ख या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)- परंतुक (शेयरों या यूनितों के विक्रय पर एलटीसीजी, जिन पर एसटीटी संदत्त है) [जहां अंतरण/घटना 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xख)	
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य है	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)	
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य है	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी कंरसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग x)	
13ख	115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कi)	
15	115 खखज (ऑनलाइन खेल से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कii)	
16	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घxvi)	
18	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बी.पी का 7ड)	

	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2गखvi)
19	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)			
	क कारबार या वृत्ति से आय	□	30	(अनुसूची बी.पी का 3च)
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	□	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)
20	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2गviii)
21	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभार्य है	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 2ड का भाग 5ख)
22 क	15% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5viक का भाग)
22 ख	20% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi ख का भाग)
23	30% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)
24 क	10% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ख क का भाग)
24 ख	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ख ख का भाग)
25 क	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5खक का भाग)
25 ख	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी से भिन्न आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5खख का भाग)
26	20% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5खi का भाग)
27	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)
28	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग यूपटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)
			योग	

**अनुसूची आई एफ** भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

फर्म जिसमें भागीदार है	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है							
	क्र.सं.	फर्म का नाम	फर्म का पैना	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म का धारा 92ड लागू होती है (हां/ नहीं)	फर्म का लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम i	फर्म में 31 माच का पूंजी बकाया ii
	1							
	2							
	3							
	4	योग						

**अनुसूची-छूट प्राप्त आय** छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

1	ब्याज से आय						1
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से भिन्न)			i	2
		ii	कृषि पर उपगत व्यय			ii	
	iii	पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि			iii		
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बी.पी की क्र.सं. 38) से संबंधित कृषि आय अंश			iv		
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)					
	vi	वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
	क	पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।					
	ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन					

		ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)					
		घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)					
छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)(3क + 3ख)					3	
		क	धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10(23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड़) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय (कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।			3क		
		ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें			3ख		
	4	डीटीएए के अनुसार दावा किये गए कर से अप्रभार्य आय						
		क्र.सं०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)
		I						
		II						
	III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीएए से कुल आय					4	
	5	कर से अप्रभार्य पास थू आय (अनुसूची पीटीआई)					5	
	6	योग (1+2+3+4+5)					6	

अनुसूची पीटीआई		धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
क्रम	धारा 115प /115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
पास के माध्यम से आय	1.			i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				काii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
				iii	अन्य स्त्रोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
				ख	धारा .....के अधीन					
				ग	धारा.....के अधीन					
2.				i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					

					का	धारा 111क				
					काii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा	धारा 112क				
					खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्तरीय				
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	.....के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
					<b>टिप्पण ▶</b>		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।			

<b>अनुसूची टी.पी.एस.ए</b>		ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण						
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाखा का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

<b>अनुसूची 115 नघ</b>		धारा 115 नघ के अधीन अनुवृद्धि आय			
1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्तियों का संकलित उचित बाजार मूल्य (एफएमवी)			1	
2	घटाए: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व			2	
3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)			3	
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से सीधे अर्जित आस्तियों का एफएमवी	4i			
	(ii) धारा 12 क ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी यदि उक्त अवधि के दौरान धारा 11 और 12 के अधीन लाभ का दावा नहीं किया गया है	4 ii			
	(iii) धारा 115 नघ (2) के तीसरे परंतुक के अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का एफएमवी	4 iii			
	(iv) कुल (4i+4ii+4 iii)			4iv	
5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व			5	

6	धारा 115 नघ के अनुसार अर्जित आय [3-4iv-5]	6	
7	धारा 115 नघ के अधीन अधिकतम मर्जिन दर पर अतिरिक्त संदेय आयकर	7	
8	धारा 115 नघ के अधीन संदेय ब्याज	8	
9	धारा 115 नघ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख	9	
10	अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज	10	
11	कर और संदत्त ब्याज	11	
12	शुद्ध संदेय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें)	12	
13	अनुवृद्धि आय पर कर जमा करने की तारीख(तारीखें)	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख2 (दिन/माह/वर्ष)
14	बैंक एवं शाखा का नाम		
15	बीएसआर कोड		
16	चालान का क्रमांक		
17	जमा की गयी राशि		

अनुसूची- एफएसआई		भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)							
क्र. सं.	देश कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा डापडाउन उपलब्ध करवाया जाएगा)	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय ( भाग ख तज्ञ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें							



<b>अ3</b> 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
<b>अ4</b> 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यापित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
<b>ख</b> 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(10)	(11)	(12)										
(i)												
(ii)												
<b>ग</b> 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(10)	(11)	(12)										
(i)												
(ii)												
<b>घ</b> 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ड	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्योरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	ज़िप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्योरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो											
क्र.सं०	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्योरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
<b>टिप्पण ▶</b> कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।												

अनुसूची जीएसटी		जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी	
जीएसटी ब्योरा	क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण▶		कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक जानकारी दें।	

## भाग - ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1
	2	कारबार या वृत्ती से लाभ और अभिलाभ	
		i सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची- बी पी का 37) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i
		ii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii
		iii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii
		iv विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का 3, 3ड और 3 घ)	2iv
		v योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्ट में लें जाएं)	2v
	3	पूंजी अभिलाभ	
		क अल्पकालिक	
		i 15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ii)	काक
		ख 20% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iii)	काख
		ii 30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iv)	काि
		iii लागू दर पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 11v)	कािि
		iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 11vi)	काiv
		v कुल अल्पकालिक (काक + कािख + कािि + काiv) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	कव
	ख दीर्घकालिक		
	i 10% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 11vi)	खाक	

		ख 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 11viii)	ख i ख		
		ii 20% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ix)	ख ii		
		iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 11x)	ख iii		
		iv कुल दीर्घकालिक (ख i क + ख i ख + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	ख iv		
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3ख iv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)		3ग	
	घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		3घ	
	ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)		3ङ	
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 क		
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 भरें)	4 ख		
	ग	घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसक्षण क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 ग		
	घ	योग (4 क + 4 ख + 4 ग)		4 घ	
5	मदवार आय का योग (1 + 2v + 3ङ + 4 घ)				
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)				
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5 - 6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (iv) से (xvi) का योग + 4ख + 2v)				
8	7 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3 xvi और 4xvi का योग)				
9	सकल कुल आय (7 - 8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv) से (xiv) का योग + 4ख + 2v)				
10	9 में सम्मिलित धारा 111 क, धारा 112, धारा 112 क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय				
11	अध्याय VI क के अधीन कटौतियाँ				
	क	अनुसूची 6 क का भाग ख [अनुसूची 6 क का (1) और (9-10) तक सीमित]		11क	
	ख	अनुसूची 6 क का भाग ग [अनुसूची 6 क का (2)]		11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित		11ग	
12	धारा 10 क के अधीन कटौती (अनुसूची 10 क का कुल)				
13	कुल आय (9- 11 ग - 12)				

14	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)	14	
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आयकोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 2v)	15	
16	कुल आय (13 - 14 + 15) [यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य नहीं की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा]	16	
17	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानि याहों (अनुसूची सीएफएल के xx का योग)	17	
18	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)	18	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना		
कर दायित्व की संरचना	1	क धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)	1क	
		ख पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर	1ग	
		घ मानी गई आय (1क+s1ख+1ग) पर कुल संदेय कर	1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर		
		क भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख	
		ग कृषि आय पर छूट [भाग ख-नहीं झ का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा]	2ग	
		घ कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)	2घ	
		ड उपकर	उपातिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपातिक के बाद अधिभार
	i अनुसूची एस.आई के 12 (ii) का 25%	2ड i	iक	
	ii 10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ )	2ड ii	iiक	
	iii [(2घ) पर 12ड (ii) में संदर्भित आय पर कर - अनुसूची एस.आई का 12 (ii)]	2ड iii		
	iv कुल (iक + iiक)			2ड iv
	च स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2डiv			2च
	छ कुल आय पर संदेय कर (2घ +2ड iv+ 2च)			2छ
	3 सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)			3
	4 पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115 जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)			4
	5 धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर (3 - 4)			5
	6 कर राहत			
	क धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क		
	ख धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख		
	ग योग (6क + 6ख)			6ग

	7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)	7					
	8	ब्याज और देय फीस						
	क	विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क					
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख					
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग					
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ					
	ड	कुल ब्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)	8 ड					
	9	कुल दायित्व (7 + 8 ड)	9					
संदत्त कर और बैंक के ब्यौरे	10	संदत्त कर						
	क	अग्रिम कर (115क के स्तंभ 5 से )	10क					
	ख	स्तोत पर काटी गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख					
	ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग					
	घ	स्वत. निधारण कर (15क के स्तंभ 5 से )	10घ					
	ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)	10ड					
	11	संदेय रकम (यदि 9, 10 ड से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	11					
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड, 9 से अधिक है)	12					
	13	धारा 115नड के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115 नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर (अनुसूची 115 नघ का क्र.सं. 12)	13					
	14	क्र.सं. 12 (13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात धारा 115 नघ के अधीन संदेय कर	14					
	15	क्र.सं. 14 (12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे खाते में जमा किया जाएगा)	15					
बैंक खाता	16	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)						
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)						
		क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा डाउनलोड उपलब्ध कराया जाएगा)	प्रतिदाय जमा के लिए खाता चुनें (न्यूनतम एक खाते को <input checked="" type="checkbox"/> करें)	
		i					<input type="checkbox"/>	
	ii						<input type="checkbox"/>	
	नोट: 1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी 2) कई खातों के चुने जाने की दशा में, विवरणी प्रसंस्करण के पश्चात प्रतिदाय का विधि मान्य खातों में से किसी एक में जमा किया जाएगा।							
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं							
	ख) अनिवासी, जिनका भारत में बैंक खाता नहीं है, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:							
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन			
		आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं						

17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
----	--	--

18 अनुसूची-आयकर													
क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर के ब्यौरे													
क्र	क्रम संख्या	बीएसआर कोड			निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)		चालान का क्रम संख्या		रकम(रू.)				
	(1)	(2)			(3)		(4)		(5)				
	i												
	ii												
iii													
<b>टिप्पण</b> ▶ अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर के कुल को टी टी आइ के भाग ख के क्रम संख्या 10क और 10घ में दर्ज करें													
<b>ख</b> स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ङ के अनुसार]													
क्र.सं०	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार संख्या	धारा जिसके अधीन टीडीएस की कटौती होती है	अग्रिम अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान टीडीएस कटौती)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	अग्रिम टीडीएस क्रेडिट				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रिम टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती(यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया(यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष	
								आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस	पैन/ आधार संख्या		
i													
<b>टिप्पण</b> भाग ख ▶ ननझ के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें													

ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [ संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार ]														
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	दावा नहीं किया गया अग्रिम स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कर संग्रहण)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया				
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)					
				(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)
				i										टी.सी. एस
ii														
<b>टिप्पण</b> ▶ कृपया भाग ग - टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें।														

**सत्यापन**

मैं \_\_\_\_\_ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री .....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी ..... (डाप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं एक स्थाई खाता संख्या ..... धारक हूँ (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

**तारीख****स्थान****यहां हस्ताक्षर करें।”**